"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 मई 2003—वैशाख 12, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2916/2433/साप्रवि/2002/1/2.—श्री सुनील कुमार कुजूर, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 23-12-2002 से 4-1-2003 तक (13 दिन) का अर्जित अवकाश शेष रहता है. साथ ही दिनांक 21, 22-12-2002 एवं 5-1-2003 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुजूर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, स्कूल शिक्षा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री सुनील कुजूर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

5. श्री सुनील कुजूर, सचिव, स्कूल शिक्षा के अवकाश काल में श्री राम प्रकाश, सचिव, वन को अपने कार्य के साथ-साथ, सचिव, स्कूल शिक्षा का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-1/गृह/दो/03.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम एवं द्वितीय'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर कलेक्टर रायपुर	
1.	कु. शिल्पी थामस	नायब तहसीलदार

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-4/गृह/दो/03.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''विधि तथा प्रक्रिया'' (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर कलेक्टर रायपुर	
1.	श्री प्रेमसिंह विन्ध्यराज	वाणिज्यिक कर अधिकारी

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-10/गृह/दो/03.—खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''खनिज साधन'' (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर कलेक्टर रायपुर	
1.	श्री धर्मेन्द्र साय	सहायक भौमिकी विद

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-20/गृह/दो/03.—सामान्य प्रशासन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''सिविल विधि तथा प्रक्रिया'' (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	निम्नस्तर कलेक्टर रायपुर	
1.	श्री फिरतूराम साहू	राजस्व निरीक्षक
	कलेक्टर बिलासपुर	
2.	श्री साहेब लाल मरकाम	नायब तहसीलदार

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-29/गृह/दो/03.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''लेखा प्रथम'' (बिना पुस्तकों के) द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर **कलेक्टर रायपुर**	
1.	श्री भारतीस साय भगत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
	निम्नस्तर **कलेक्टर रायपुर**	
2.	श्री देव कुमार सोनी	उप अंकेक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-6-42/गृह/2001.—छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46 सन् 1974) की धारा-9 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सचिव/प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-6-42/गृह/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 5 अप्रैल, 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, उप-सचिव.

Raipur, the 5th April 2003

No. F-6-42/Home/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 9 (1) of Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoint Secretary/Principal Secretary, Home, Chhattisgarh, Government as appellate authority for the purpose of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BRAJESH CHANDRA MISHRA, Deputy Secretary.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक 3451/डी. 15/60/2003/14-3.—यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज का तथा जांजगीर-चांपा जिले की जैजेपुर तहसील के नीचे दी गई अनुसूची में समाविष्ट समस्त क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय का विनियमन करने के लिए जैजेपुर में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति से इस अधिूसचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 4 सप्ताह के कालावधि के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग रायपुर को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची

तहसील जैजेपुर—1. छितापड़रिया, 2. ठठारी, 3. तलवा, 4. दर्राभाठा, 5. अकलसरा, 6. कोटेतरा, 7. खम्हरिया, 8. ठुठी, 9. दतौद, 10. धौराभाठा, 11. पथर्रा, 12. आमगांव, 13. बेलकर्री, 14. गुचकुलिया, 15. पाड़ाहरदी, 16. सिकारीनार, 17. झकहाडीह, 18. नंदेली, 19. तुसार, 20. गलगलाडीह, 21. बोडेसरा, 22. सेमराडीह, 23. करमनडीह, 24. जैजेपुर, 25. काशीगढ़, 26. बावनबोडी, 27. चोरभट्ठी, 28. मुक्ता, 29. कचंदा, 30. बेलादुला, 31. मुरलीडीह, 32. करोवाडीह, 33. कालमीडीह, 34. खम्हारडीह, 35. खुजरानी, 36. सलनी, 37. मलनी, 38. सेन्दूरस, 39. डोंगिया, 40. धनोहारपारा, 41. चिखलरौंदा, 42. केकराभाठ, 43. भोथिया, 44. भोथीडीह, 45. अमापाली, 46.बर्रा, 47. बिछिया, 48. तान्दूलडीह, 49. लोहराकोठ,

50. झाड़गोंदा, 51. रैपुरा, 52. सिरली, 53. कुम्हारीपठान, 54. बोहारडीह, 55. हरदी, 56. अरसिया, 57. परसाडीह, 58. ओड़ेकेरा, 59. गाड़ामोर, 60. जर्वे, 61. घोराडीपा, 62. जूनवानी, 63. सेंदरी, 64. हरैठीखुर्द, 65. करही, 66. किकिरदा, 67. धिवरा, 68. चिसदा, 69. देवरीमठ, 70. झरप, 71. टोटमा, 72. अमोदा, 73. धमनी, 74. परसदा, 75. बरेकेलकला, 76. भोतरा, 77. कैथा, 78. पेण्ड्री, 79. हसौद, 80. गुडरूकला, 81. जमड़ी, 82. डोमाडीह, 83. नगारीडीह, 84. मलदाकला, 85. तुमीडीह, 86. देवरघटा, 87. बइहागुडरू, 88. हरैठीकला, 89. भूजियाबोड़, 90. पिसौद, 91. बरेकेलखुर्द, 92. भातमाहुल, 93. लालमाटी, 94. अमलीडीह, 95. आमाकोनी, 96. खैरझिटी, 97. बोहारडीह, 98. रीवांडीह, 99. हरदीडीह, 100. कुटराबोड़, 101. छिर्राडीह, 102. बहेराडीह, 103. बरदुली.

Raipur, the 26th March 2003

No. 3451/D. 15/60/2003/14-3.—Whereas, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of C.G. Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare its intention to establish a market at Jaijepur "for the purpose of the said act" for regulating the purchase and sale of Agricultural produce mentioned in the schedule of "the said act" for the following list of villages of the area of Jaijepur Tahsil of Distict Janjgir-Champa.

Any objection or suggestion which may be received by the secretary to government of C.G. Agricultural department, Raipur from any person within a period of four weeks from the date of Publication of this notification in the "C.G. Gazette" will be considered by the state government.

SCHEDULE

Tahsil Jaijepur—1. Chhitapdriya, 2. Tatharee, 3. Talava, 4. Darrabhatha, 5. Akalsara, 6. Kotetara, 7. Khamharia, 8. Thuthi, 9. Datoud, 10. Dhourabhata, 11. Patharra, 12. Aamgaon, 13. Belkarri, 14. Guchkulia, 15. Padahardi, 16. Sikarinar, 17. Jhakahadeeh, 18. Nandeli, 19. Tusar, 20. Galgaladeeh, 21. Bodesara, 22. Semaradeeh, 23. Karmandeeh, 24. Jaijepur, 25. Kanshigarh, 26. Bawanbori, 27. Chorbhatti, 28. Mukta, 29. Kachanda, 30. Beladula, 31. Murlideeh, 32. Karowadeeh, 33. Kalamideeh, 34. Khamhardeeh, 35. Khujrani, 36. Salani, 37. Malani, 38. Senduras, 39. Dongia, 40. Dhanoharpara, 41. Chikhalrouda, 42. Kekrabhath, 43. Bhothia, 44. Bhothideeh, 45. Aamapali, 46. Barra, 47. Bichhia, 48. Tanduldeeh 49. Loharakot, 50. Jhargonda, 51. Raipura, 52. Sirali, 53. Kumhari Patham, 54. Bohardeeh, 55. Haradi, 56. Arasiya, 57. Parasadeeh, 58. Orekera, 59. Gadamor, 60. Jarve, 61. Ghoradeepa, 62. Junwani, 63. Sendari, 64. Haraithi Khurd, 65. Karahi, 66. Kikirada, 67. Dhiwara, 68. Chisda, 69. Deori math, 70. Jharap, 71. Totama, 72. Amonda, 73. Dhamani, 74. Parasada, 75. Barekelkala, 76. Bhotara, 77. Kaitha, 78. Pendri, 79. Pasaud, 80. Gudaru Kala, 81. Jamari, 82. Domadeeh, 83. Nagari deeh, 84. Maladakala, 85. Tumideeh, 86. Dewarghata, 87. Baiha gudaru, 88. Haraithi Kala, 89. Bhujiabod, 90. Pisaud, 91. Barekel Khurd, 92. Bhatmahul, 93. Lalmati, 94. Amlidih, 95. Amakoni, 96. Khairjhitit, 97. Bohardih, 98. Riwadih, 99. Hardidih, 100. Kutarbod, 101, Chhirradih, 102 Baheradih, 103. Barduli.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक 551/ले. पा./2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	माहुद प.ह.नं. 84/5	3.00	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के माहुद लघु नहर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय-दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/ क्रमांक 2.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	धाराशिव प.ह.नं. 5	2.934	कार्यपालन यंत्री, सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधान मंत्री सड़क योजना, जाजंगीर-चांपा, छ. ग.	ठकुरदिया से धाराशिव पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/ क्रमांक 3.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बक्सरा प.ह.नं. 25	0.246	कार्यपालन यंत्री, सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधान मंत्री सड़क योजना, जाजंगीर-चांपा, छ. ग.	मुख्य मार्ग से हेड़सपुर सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लॉन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 1113.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	झिरना प.ह.नं. 7	0.764	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 1114.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	कचन्दा (राजा) प.ह.नं. 7	0.065	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	सक्ती शाखा नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसेदव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 1115.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	घिवरा प.ह.नं. 28	1.623	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 1116.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जमड़ी प.ह.नं. 23	0.611	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 2, चांपा.	हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 3 अप्रैल 2003

क्रमांक 647/अ.वि.अ./भू-अर्जन/24-अ/ 82 सन् 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	घुंचापालीकला प.ह.नं. 118/65	3.12	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	चंडी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 3 अप्रैल 2003

क्रमांक 650/अ.वि.अ./भू-अर्जन/31/अ/82 सन् 2003-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	परसुली प.ह.नं. 113/60	3.15	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	अपर जोंक परियोजना के परसुली माइनर, नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 3 अप्रैल 2003

क्रमांक 647/अ.वि.अ./भू-अर्जन/32/अ/82 सन् 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	खट्टी प.ह.नं. 113/60	2.31	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	अपर जोंक परियोजना के खट्टी माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक 17 अ-67/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	लटोरी	1.81	मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. भटगांव.	नवापारा भूमिगत खदान में एयर साफ्ट हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 26 मार्च 2003

रा. प्र. क्रमांक 8 अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	बिशुनपुर प.ह.नं. 58	1.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ.ग.).	कल्याणपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.
		गोपीपुर प.ह.नं. 64	0.31		
		योग	1.67		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 26 मार्च 2003

रा. प्र. क्रमांक 10 अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	भैयाथान	0.28	अनुविभागीय अधिकारी, लो. नि. वि. सेतु निर्माण उप संभाग, अम्बिकापुर.	भैयाथान-प्रतापपुर रेड़ नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.
		महुली	0.58		
		योग	0.86		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 26 मार्च 2003

रा. प्र. क्रमांक 9 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	मकरन्दीपुर	42.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	पिउरी जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 26 मार्च 2003

रा. प्र. क्रमांक 12 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	गिरजापुर	0.27	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	गिरजापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 26 मार्च 2003

रा. प्र. क्रमांक 13 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	इन्दरपुर	0.83	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	गिरजापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 26 मार्च 2003

रा. प्र. क्रमांक 14 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसू .. के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	ओड़गी	1.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	ओड़गी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 26 मार्च 2003

रा. प्र. क्रमांक 15 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	कालामाजन	0.96	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	ओड़गी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक 2888/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	सिसाही प.ह.नं. 1	6.86	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मनकी जलाशय के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 अप्रैल 2003

क्रमांक 3011/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	सिंगारपुर प.ह.नं. 4	7.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुक्तरा जलाशय के अंतर्गत सिंगारपुर मुख्य नहर निर्माण कार्य में.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक 1865/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	मुहडबरी प.ह.नं. 3	0.63	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ. स.), खैरागढ़.	पिपरिया-गातापार मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक 1866/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	मड़ौदा प.ह.नं. 29	0.49	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ. स.), खैरागढ़.	अतरिया-कुकुरमुड़ा-बफरा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक 1867/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	बावली प.ह.नं. 30	0.12	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ. स.), खैरागढ़.	बावली-पेटी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक 1868/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	बफरा प.ह.नं. 29	0.32	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ. स.), खैरागढ़.	अतरिया-बफरा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक 3060/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	मदुराकुही प.ह.नं. 44	8.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	मदुराकुही जलाशय के अंतर्गत डुबान एवं उलट हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 73/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.448 + 0.361=1.809 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अचरितपाली सब माइनर	
1420/1	0.065
1420/3	0.040
1424/2	0.121
1421	0.057
1423	0.040
1422/2	0.040
1199/2	0.081
1428	0.105
1430/1	0.170
1436	0.093
1429	0.040
1435/1	0.057
1434/1	0.162
1444	0.235
1448/3	0.065
1448/1	0.077
योग	1.448

(1)	(2)
अमलीडीह ब्रांच सब माइनर	
1437/1	0.024
1435/1	0.049
1438/2	0.065
1439	0.061
1194/1	0.162
योग	0.361
कुल योग	1.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अचरित पाली सब माइनर, अमलीडीह ब्रांच सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 74/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-आमनदुला, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.699 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1473	0.028
1472	0.121
1481/2	0.012
1474/4	0.028
1474/3	0.040
1474/2	0.036
1474/1	0.045
1477 1478	0.138
685	0.077
686/2	0.012
686/1	0.024
688	0.040
689	0.040
690/1	0.016
690/2	0.032
691	0.008
677/1	0.024
675/2	0.077
675/1	0.016
674/1	0.069
665/1 क	0.016
665/2	0.073
664/1	0.085
664/2	0.057
663/1	0.113
659/1	0.024
660	0.024
656/2	0.024
658	0.004
656/1	0.095
602	0.053
600	0.065
599/3	0.049
608	0.053
609/1	0.016
594/2	0.028
609/2	0.089
593/2	0.008
592/1	0.008
591/1	0.012
610/3	0.028
613 615	0.077
586	0.053
616	0.053
587	0.097

(1)	(2)
458/2	0.081
459	0.020
460	0.053
461	0.008
455/4	0.053
454	0.162
450	0.089
451/2	0.146
योग	2.699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पोता उप-वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 75/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.556 + 0.699=3.255 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
कलमी माइनर निर्माण	
19/3	0.012
19/4	0.016
19/8	0.073
627/2	0.162
628/2	0.061
628/3	0.061
828/1	0.162
542	0.032
534/2	0.065
534/3	0.065
534/1	0.065
527/2	0.081
528	0.057
529/1	0.142
530	0.130
531/1	0.024
673/4	0.065
675/3	0.008
531/2	0.024
651/3	0.081
681/1	0.008
652	0.109
650	0.417
649	0.008
673/2	0.210
675/2	0.130
682/2	0.085
681/6	0.130
534/5	0.073
योग	2.556
पोता सब माइनर	
527/2	0.093
526	0.108
529/1	0.012
656/1	0.380
656/3	0.049
660/2	0.049
657/2	0.008
योग	0.699
कुल योग	3.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कलमी माइनर निर्माण हेतु एवं पोता सब माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 76/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-मालखरौदा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.807 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.040
3/1	0.065
4/1	0.567
7/2, 3	0.215
7/4	0.154
7/14	0.121
7/5	0.057
7/7	0.283
8	0.113
13	0.004
554	0.486
556/3	0.053
556/1	0.243
556/2	0.020
557	0.061
600/3	0.040
600/4	0.053
600/1	0.105
599/3	0.101
599/5	0.097
599/6	0.081
599/7	0.040
778/2	0.154
778/3	0.154
769/1	0.121
937/5	0.081
926	0.049
927/2	0.028
927/1	0.040
927/4	0.049
935	0.036
934	0.028
933/1	0.040
932	0.069
955	0.036
956	0.020
958	0.020
952/1	0.182
953/3	0.053
962/9	0.073
962/8	0.004
962/10	0.097
962/11	0.061
962/6 ख	0.024
962/6 क	0.073
1034	0.020
1035	0.045
1036	0.028
1015/1	0.020
1015/4	0.065
1016	0.004
1014/2	0.045
1063	0.053
1064/1	0.032
962/3	0.004
योग	4.807

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मालखरौदा वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 77/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भठोरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
905	0.061
919	0.012
904	0.012
718	0.069
903/1	0.040
756/1	0.036
165/1	0.008
903/2	0.045
756/3	0.065
908	0.057
894/1	0.049
895/1	0.045
726, 727	0.061
195	0.045
892	0.053
571/1	0.012
166/1	0.040
164/2, 164/3	0.045
757, 758	0.101
720, 721	0.008
717	0.028
176, 177	0.049
157/1	0.032
710/1	0.069
725/5	0.008
709/1	0.040
710/2	0.045
213	0.040
709/2	0.008
167/2	0.040
166/2	0.061
193	0.065
165/2	0.032
515	0.008
165/1	0.008
174	0.024
181	0.073
186/2	0.049
512/1	0.053
209	0.028
518/2	0.028
210/3	0.028
232	0.040
238	0.028
233, 235	0.045
516/2	0.036
517/1	0.024
521	0.053
514	0.008
519	0.032
520	0.049
271/1	0.024
393/4	0.097
395/1	0.073
719/2, 763	0.049
135	0.012
योग	2.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भठोरा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 78/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सतगढ़, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.163 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
690/1	0.061
689/2	0.028
622	0.130
621	0.061
557/1	0.097
545/1	0.008
689/1	0.105
624/2	0.032
689/3	0.032
657	0.065
653/2	0.040
553/1	
638/1	0.049
656	0.020
640	0.028
642	0.049
499/3	0.049
499/2	0.065
499/1	0.073
499/4	0.028
510/5	0.016
624/3	0.061
624/1	0.032
552	0.020
551	0.138
553	0.032
282/2	0.016
548	0.061
546/1	0.061
561/2	0.077
545/2	0.097
543	0.049
563	0.008
302	0.097
292/3	0.036
292/1	0.040
284	0.125
291/1	
286	0.093
254/1	0.012
253	0.008
304/4	0.008
303	0.028
654	0.028
655	
योग	2.163

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पिहरिद माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 79/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़े रबेली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.079 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
550/1	0.109
436	0.060
434/2	0.024
428/1	0.219
412	
413	
411/1	
541	0.012
549	0.146
542	0.036
543/2	0.057
437/3	0.074
435/1	0.065
433	0.012
411/2	0.012
404	0.072
410/1	0.084
245	0.057
414	0.008
437/1	0.008
427/1	0.024
योग	1.079

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बड़े-रबेली माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 80/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़े रबेली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.075 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1293	0.109
1290/2	0.057
1288/1	0.057
1285	0.024
1265/1	0.154
1265/2	
1265/3	
1280	0.053
1081/1	0.004
1082	0.109
1092/2	0.097
1095/1	0.121
1101/4	0.057
1101/5	0.073
1101/2	0.089
1101/3	0.069
1101/1	0.097
1046	0.093
1045	0.065
1119/2	0.040
1120	0.109
1122/2	

(1)	(2)
1288/2	0.093
1044/2	0.081
1127/1	0.081
1127/2	0.085
1128/2	0.045
1129/1	0.097
1018/1	0.085
1018/3	0.036
1144	0.077
950	0.150
950/1450	0.053
950 | 942	0.186
927/1	0.024
930/3	0.097
928/2	0.069
929	0.081
1308/2	0.081
932/1	0.073
932/2	0.012
927/2	0.032
1081/2	0.036
1143	0.024
योग	3.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बड़े-रबेली मेन माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 81/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भंडोरा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.871 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
590/1	0.060
589/2	0.065
589/3	0.060
589/1	0.105
266/1	0.291
266/3 | 266/4	0.053
266/2	0.089
265/1	0.049
265/2	0.053
244	0.069
245	0.149
199/1	0.028
243/1	0.040
243/2	0.028
198/1 | 198/5	0.129
241	0.020
202/1	0.077
201	0.004
199/3	0.089
196	0.040
197/1	0.049
197/3	0.057
202/2	0.020
590/2	0.065
591/3	0.182
योग	1.871

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-रबेली मेन माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 82/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-छोटे रबेली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.103 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
519/4	0.073
540	0.036
359	0.024
353/5	0.016
541	0.020
353/4	0.020
353/3	0.032
352/4	0.024
350	0.049
352/1	0.016
348/2	0.045
348/1	0.113
346/1	0.004
349/3	0.040
302/10	0.012
302/5	0.028
303/1	0.057
598	0.069
599	0.073
302/4	0.081
296/1	0.057
628/1 628/2	0.053
294	0.069
629	0.065
627/1	0.004
346/2	0.023
योग 26	1.103

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-रबेली सब ब्रांच निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 83/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-मालखरौदा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.456 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.190
6/1	0.170
17/9	0.266

(1)	(2)
171/10	0.223
19	0.049
18	0.032
74/2	0.045
68/1	0.008
68/2	0.089
69/1	0.032
69/2	0.032
70	0.085
71	0.073
75/1	0.049
76	0.113
योग	1.456

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मालखरौदा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 84/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं.13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.112 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
634/4	0.016
634/5	0.097
634/9	0.045
634/6	0.028
636	0.130
639/2 ख	0.024
638	0.040
639/3	0.146
639/4	0.081
639/1 क	0.012
639/1 ख	0.113
639/2 घ	0.077
654/3	0.032
639/1 ग	0.012
651/5	0.032
639/2 क	0.049
639/2 ग	0.142
648	0.085
651/1 क	0.061
651/2 क	0.332
651/2 ङ	0.028
651/3	0.049
652	0.283
653/1	0.057
654/2	0.141
योग	2.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-छपोरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 85/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कारीगांव, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.886 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
981	0.048
985	0.068
986	0.060
992	0.004
993	0.008
998	0.048
999	0.052
1000	0.048
1001	
1002	0.028
1003	0.004
1004/2	0.068
1005/1	0.032
1005/2	0.072
890/5	0.048
846/1	0.032
845/1	0.105
820/1-2	0.198
821	0.004
823	0.048
826/1	0.080
826/3	0.052
802/1 ख	0.032
812	0.052
802/1 क	0.141
803/1	0.040
801	0.020
771	0.133
766/1	0.129
762/1	0.028
764	0.072
743	0.020
762/3	0.048
763	0.064
योग	1.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कारीगांव माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 86/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.256 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153/3	0.097
154/4	0.045
158/4	
152/3	0.040
153/5	0.012
160/2	0.053
162/5	0.032
154/2	0.053
158/1	

(1)	(2)
162/8	0.121
160/1	0.097
161/2	0.065
161/1	0.154
420/1	0.089
170/3	0.279
419/2	0.004
423	0.016
450/2	0.097
422	
418/4	0.016
418/3	0.040
421/1	0.032
421/2	0.049
430	0.085
429	0.105
425/16	0.045
496	
498	
425/11	0.162
426/4	0.036
425/1	0.142
425/8	0.089
502/1	0.008
51/2	0.332
556/3	0.069
556/4	0.174
556/1	0.126
556/7	0.008
563	0.243
566/4	0.093
556/8	0.032
567/2	0.085
598/1	0.150
568/3	0.093
599/2	0.008
571/3	0.126
595	0.113
597/1	0.081
596	0.158
597/2	0.049
610/3	0.020
608/2	0.024
609/1	0.150
609/3	0.024
608/1	0.150
611	0.154
613/1	0.154
613/3	0.234
613/4	0.032
613/5	0.012
49	0.263
634/4	0.036
योग	5.256

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कुरदा सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 87/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़े सीपत, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.069 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
446/2 449/1 449/2 449/3 451/4	0.198
447	0.057
448	0.065
435/4 435/5	0.405
106/1 109/1	0.133
106/2 109/2	0.016
106/3 109/3	0.101
107/1 107/2	0.267
1129	0.032
1130/1	0.012
1131/1	0.206
1138	0.101
1137/1	0.044
1142/1 1142/2 1142/3 1142/4	0.360
1147/1	0.008
1149/2	0.024
1147/3	0.008
1147/4	0.024
1147/5	0.008
योग	2.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-रबेली उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 88/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.629 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
460	0.032
459/2	0.048
455/1	0.016
456/4 455/2 455/3 455/4	0.214
456/2	0.028
456/1	0.153
453/1	0.186
453/6	0.085
453/5	0.271
452	0.105
453/4	0.004
430/3 430/4 429/1	0.129
428	
426 476/2	0.020
477	0.255
476/1	0.073

(1)	(2)
478/2-3	0.040
478/4	0.065
478/1	0.190
479	0.020
484/1	0.113
484/4	0.141
484/2	0.105
483/3	0.093
483/1	0.012
483/2	0.105
487/2	0.073
488/1	0.040
334/1	0.263
487/4	0.061
339	
334/2	0.356
332/1	
488/2	0.061
332/2	0.138
333/1	0.028
330/7	0.230
331/2	
331/1	0.061
330/2	0.052
330/15	0.145
330/10	0.251
297/2	0.307
330/3	0.028
475/1	0.032
योग	4.629

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरदा वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, साक्षरता मार्ग, अम्बिकापुर (सरगुजा) छ. ग.

सरगुजा, दिनांक 11 नवम्बर 2002

क्रमांक 15/2002.—म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (25 सन् 1958) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में धारा 13 (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्ति जो कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक श्रम/4/रायपुर दिनांक 20-3-2002 द्वारा श्रम पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, और चूंकि जैसा कि श्रम पदाधिकारी कार्यालय, सरगुजा के क्षेत्रांतर्गत स्थित बैकुण्ठपुर (औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र तथा ऐसी स्थानीय सीमा से तीन किलोमीटर तक का क्षेत्र) जहां पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ/28-132-99-सोलह-ए-भोपाल के 3 मार्च 2000 द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम को प्रभावशील किया है: अत: उक्त धारा 13 (3) (क) के तहत बंद दिवस (क्लोज्ड डे) नियत किया जाना अनिवार्य है.

अत: एतद्द्वारा मैं, बी. एस. बरिहा, श्रम पदाधिकारी अंबिकापुर उपरोक्त वर्णित स्थापनाओं में जो दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 में परिभाषित है, के लिए वाणिज्यिक संघों की मांग तथा अधिनियम को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए लोक हित में सप्ताह के एक दिन "शनिवार" को बंद दिवस (क्लोज डे) नियत करता हूं. तथा एतद्द्वारा निर्देश जारी करता हूं कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से समस्त संस्थानों पर प्रभावशील माना जावेगा.

बी. एस. बरिहा,
श्रम पदाधिकारी

कार्यालय, गन्ना आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन
इं. गां. कृ. वि. वि. कृषक नगर लभांडी, रायपुर

रायपुर दिनांक 19 मार्च 2003

क्रमांक/गन्ना/2003/196.—छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सहकारी शक्कर कारखाना हेतु भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा के कार्य क्षेत्र के संपूर्ण कवर्धा जिला, दुर्ग जिले के बेमेतरा, साजा, नवागढ़ एवं बेरला, बिलासपुर जिले के लोरमी, मुंगेली एवं लखनपुर, राजनांदगांव जिले के छुईखदान एवं खैरागढ़ कुल 13 विकासखंड में निजी तौर पर गुड़ बनाने की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ गन्ना (खरीदी एवं आपूर्ति विनियमन) अधिनियम, 1958 के तहत प्रतिबंधित करने की मांग शक्कर कारखाना कवर्धा द्वारा प्रथम ट्रायल सीजन वर्ष 2002-2003 हेतु की गई है.

मैं, डॉ. ए. जे. व्ही. प्रसाद, गन्ना आयुक्त छत्तीसगढ़, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा के लिए छत्तीसगढ़ गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 के धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए गन्ना पेराई वर्ष 2002-2003 हेतु निम्नानुसार रक्षित क्षेत्र घोषित करता हूं.

क्रमांक (1)	जिला का नाम (2)	तहसील का नाम (3)	विकासखंड का नाम (4)
1.	कवर्धा	कवर्धा	कवर्धा
2.	कवर्धा	कवर्धा	बोड़ला
3.	कवर्धा	पंडरिया	पंडरिया
4.	कवर्धा	कवर्धा	सहसपुरलोहारा
5.	दुर्ग	बेमेतरा	बेमेतरा
6.	दुर्ग	नवागढ़	नवागढ़
7.	दुर्ग	साजा	साजा
8.	दुर्ग	धमधा	बेरला
9.	बिलासपुर	तखतपुर	लोरमी
10.	बिलासपुर	तखतपुर	तखतपुर
11.	बिलासपुर	मुंगेली	मुंगेली
12.	राजनांदगांव	खैरागढ़	छुईखदान
13.	राजनांदगांव	खैरागढ़	खैरागढ़

ए. जे. व्ही. प्रसाद,
गन्ना आयुक्त.